संख्या- 222 /2024/876/35-4-2024/35-4099/444/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 02 अगस्त, 2024

विषय:- जनपद- रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद रायबरेली में शासनादेश संख्या-43/2018/1503/35-4-2018 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित कार्य यथा विधानसभा क्षेत्र बछरावां में खैरहनी से उमरमऊ मार्ग का निर्माण कार्य (क्र0-12 पर अंकित) हेतु रू0 236.29 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 118.14 लाख एवं शासनादेश संख्या- 105/2020/909/35-4-2020, दिनांक 29-12-2020 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 47.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 165.39 लाख अवमुक्त की गई।

जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-862/त्व0आ0वि0यो0/मार्ग/2023-2024 दिनांक 23-11-2023 एवं पत्र सं0-04(1)/त्व0आ0वि0यो0//2023-2024 दिनांक 08-04-2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20-12-2018 से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य की लम्बाई 3.600 किमी० लागत रू0 236.29 लाख स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पुनः सर्वे कराने पर लम्बाई 3.100 किमी० पाये जाने पर लागत रू० 225.40 लाख होने से टी.एस. कराकर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। मार्ग में कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त 200 मी० भूभाग वन विभाग का होने के कारण आपत्ति किये जाने पर संयुक्त निरीक्षण कराया गया। संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग की 200 मी० भूमि पाये जाने पर वन विभाग से अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रू0 0.80 लाख होने से आगणन में प्राविजन नहीं था और प्रक्रिया जटिल होने से आवेदन पूर्ण नहीं हो सका। दिनांक 08.09.2023 को कार्यदायी संस्थाओं की बैठक में इस प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दिये जाने पर यह निर्णय हुआ कि उत्तने भू-भाग को छोडकर कार्य पूर्ण करा दिया जाये। तत्पश्चात 200 मी० भू-भाग पर कार्य न कराये जाने से लागत रू0 14.00 लाख तथा नहर पर पुलिया का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा करा दिये जाने से रू0 14.30 लाख एवं मार्ग में प्रस्तावित यू ड्रेन को न बनवाये जाने के कारण रू0 1.28 लाख अर्थात कुल रू0 29.58 लाख की बचत तथा अवमुक्त दो किश्तों की धनराशि रू0 118.14 लाख एवं रू0 47.25 लाख को मिलाकर रू0 165.39 लाख को टी०एस० की धनराशि रू0 225.4 लाख में से घटाने के उपरान्त अवशेष/अन्तिम किश्त की धनराशि रू0 30.43 लाख होती है उक्त के आलोक में अवशेष धनराशि रू 30.43 की मांग की गयी है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 30.43 लाख (रूपये तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	संशोधित अनुमोदित धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	विभिन्न कारणों से बचत की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
विधानसभा क्षेत्र बछरावां में खैरहनी से उमरमऊ मार्ग का निर्माण कार्य।	236.29	225.40	165.39	29.58	30.43

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 ,एवं शानादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 30.43 लाख (रूपये तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-222/2024/876(1)/35-4-2024/35-4099/444/2021/तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त,लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, रायबरेली ।
15- नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16- गार्ड फाईल।

भवदीय
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।